<u>प्रेस नोट</u>

दिनाँक 26.09.2020

सोने चाँदी के लाखों के जेवरात, नगदी एवं चार पहिया वाहन कार, मो0सा0 अपाचे मय असलहा कारतूस सहित चार शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की घटना का सफल अनावरण

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री दिनेश कुमार पी0 महोदय के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राहुल मिठास, क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर श्री अभिषेक कुमार राहुल के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25-09-20 को थाना टोडीफतेहपुर पुलिस एवं एस.ओ.जी. की संयुक्त टीम द्वारा चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया

<u>घटना का विवरण-</u>

दिनांक 04-09-20 को वादी श्री रमेश चन्द्र यादव पुत्र स्व0 श्री देवकी नन्दन निवासी रेवन थाना टोड़ीफतेहपुर की तहरीरी सूचना पर थाना टोड़ीफतेहपुर में मु.अ.सं. 200/20 थाना 380 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग उपरोक्त के शीघ्र अनवारण हेतु टीमों को लगाया गया था जिसके क्रम में दिनाँक 25.09.2020 को थानाध्यक्ष टोड़ीफतेहपुर एवं प्रभारी एस.ओ.जी. झांसी मय पुलिस टीम थाना टोड़ीफतेहपुर में पंजीकृत मु.अ.सं. 200/20 अंतर्गत धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत अभियोग के अनावरण हेतु पतारसी सुरागरसी में मामूर थे कि इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम बगरौनी से पहले नहर पुलिया के पास से अभियुक्त 1. श्रीकांत पुत्र उदयभान राजपूत उम्र करीब 26 वर्ष 2.उदयभान पुत्र राजबहादुर उम्र करीब 55 वर्ष 3.श्रीमती श्याम देवी पत्नी उदय भान राजपूत उम्र करीब 52 वर्ष निवासी गण ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा 4.आलोक राजपूत पुत्र हरिसिंह राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष कुलहैड़ा थाना मजगवाँ जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से सोने के जेवरात वजन लगभग 90.51 ग्राम कीमत लगभग 04 लाख 70 हजार रुपये,चाँदी के जेवरात वजन लगभग 710 ग्राम कीमत करीब 41 हजार 8 सौ रुपये,एक अदद टिआगो कार बिना नंबर,एक अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर,एक सिलाई मशीन तथा दो अदद तमंचा 315 बोर मय 07 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ पर उपरोक्त अभियुक्तों ने थाना टोड़ीफतेहपुर अन्तर्गत ग्राम रेवन में 04/09/2020 को चोरी की घटना स्वीकार करते हुए बताया कि चोरी से मिले पैसों से टिआगो कार,मोटरसाइकिल एवं सिलाई मशीन खरीदा था। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना टोड़ीफतेहपुर पर मु.अ.सं. 219/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम श्रीकान्त राजपूत व मु.अ.सं. 220/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम आलोक राजपूत पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u> –

1- श्रीकांत पुत्र उदयभान राजपूत उम्र करीब वर्ष 26
2- उदयभान पुत्र राजबहादुर उम्र करीब वर्ष 55
3- श्रीमती श्याम देवी पत्नी उदय भान राजपूत उम्र करीब वर्ष 52
   निवासी गण ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा
4- आलोक राजपूत पुत्र हरिसिंह राजपूत उम्र करीब वर्ष कुलहैड़ा थाना मजगवाँ जनपद हमीरपुर 20

फरार अभियुक्त –

1. दिलीप पुत्र उदय भान
2. धर्मेन्द्र पुत्र सरनाम राजपूत
3. प्रदीप पुत्र उदयभान राजूपत
4. निवासी गण ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा

आपराधिक इतिहासः-

1. श्रीकांत पुत्र उदयभान राजपूत उम्र करीब 26 वर्ष नि0 उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 77/18 धारा 452/323/504/506 IPC थाना खरेला जनपद महोबा।

2- मु0अ0सं0 141/13 धारा 147/148/149/307/323/325/326/34/342/504/506 भादवि थाना खरेला जनपद महोबा

3- मु0अ0सं0 383/13 धारा 110 जी0 सीआरपीसी थाना खरेला जनपद महोबा।

4- मु0अ0सं0 01/12 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना खरेला जनपद महोबा।

5. मु 411/380 धारा 20/200 0सं0अ0भादवि 0थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी।

6. मु2 0सं0अ019 20/धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी।

2. उदयभान पुत्र राजबहादुर उम्र करीब 55 वर्ष

1- मु0अ0सं0 121/95 धारा 452/354/323 IPC थाना खरेला जनपद महोबा।

2- मु0अ0सं0 462/05 धारा 147/148/149/307/452/323/429/427/504 भादवि थाना खरेला जनपद महोबा।

3- मु0अ0सं0 964/05 धारा 302 भादवि0 थाना खरेला जनपद महोबा।

4- एस.सी.आर. 04/08 धारा 323/504 भादवि0 थाना खरेला जनपद महोबा।

1- मु 09/519 0सं0अ0 धारा 0यूपी गुण्डा अधि03थाना खरेला जनपद महोबा।

2- मु 0सं0अ042/12 धारा 110 जी0 सीआरपीसी थाना खरेला जनपद महोबा।

3- मु 0सं0अ097/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना खरेला जनपद महोबा।

4- मु 0सं0अ0142/09 धारा 457/380/411 भादवि थाना राठ जनपद हमीरपुर।

5- मु 0सं0अ0308/09 धारा 457/380 भादवि थाना राठ जनपद हमीरपुर।

6- मु 0सं0अ0141/13 धारा 147/148/149/326/325/342/504/506 भादवि व 07 क्रि.लॉ. एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर

7- मु 0सं0अ0316/15 धारा 60 आब0अधि0 थाना राठ जनपद हमीरपुर।

8- मु 0सं0अ0317/15 धारा 110 यूपी गुण्डा अधि 0थाना राठ जनपद हमीरपुर।

9- मु 0सं0अ097/19 धारा 3/25 आयु0 अधिथाना खरेला जनपद म 0होबा।

10- मु 0सं0अ01085/13 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना खरेला जनपद महोबा।

11- मु 0सं0अ01094/13 धारा 30 यूपी गु0 अधिथाना खरेला जनपद महोबा। 0

12- मु 0सं0अ0141/13 धारा 147/148/149/326/325/342/506/307/34 भादवि व 07 क्रि.लॉ. एक्ट थाना खरेला जनपद महोबा।

13- मु 20/200 0सं0अ0धारा थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी । 0भादवि 411/380

2. आलोक राजपूत पुत्र हरिसिंह राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष कुलहैड़ा थाना मजगवाँ जनपद हमीरपुर

1- मु0अ0सं0 41/18 धारा 392 IPC थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

1. मु0अ0सं0 362/8 धारा 392/411 IPC थाना राठ जनपद हमीरपुर ।
2. मु0अ0सं0 365/18 धारा 392/411 IPC थाना राठ जनपद हमीरपुर।
3. मु0अ0सं0 132/411 धारा 394 IPC थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।
4. मु0अ0सं0 134/19 धारा 3/25 आयु0अधि0 थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।
5. मु0अ0सं0 169/19 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।
6. मु2 0सं0अ019 20/धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना टोड़ीफतेहपुर जनपद झाँसी ।

बरामदगी का विवरणः

सोने के जेवरात वजन लगभग 90.51 ग्राम कीमत लगभग 04 लाख 70 हजार रुपये,चाँदी के जेवरात वजन लगभग 710 ग्राम कीमत करीब 41 हजार 8 सौ रुपये,एक अदद टिआगो कार बिना नंबर,एक अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर,एक सिलाई मशीन तथा दो अदद तमंचा 315 बोर मय 07 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. श्री आशीष मिश्रा प्रभारी सर्विलान्स सेल जनपद झाँसी
2. श्री शैलेन्द्र सिंह प्रभारी एस.ओ.जी जनपद झाँसी
3. श्री राजपाल सिंह थानाध्यक्ष टोड़ीफतेहपुर
4. उ0नि0 श्री त्रिदीप एस.ओ.जी. जनपद झाँसी,उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार,आरक्षी दुर्गेश चौहान,आरक्षी मनोज कुमार,आरक्षी योगेन्द्र चौहान,आरक्षी प्रदीप सेंगर,आरक्षी शैलेन्द्र सिंह,आरक्षी पदम गोस्वामी,आरक्षी सतपाल सिंह,आरक्षी सुशील सरोज,आरक्षी चन्द्रशेखर,आरक्षी कृष्णकान्त,म0आरक्षी गीतांजलि।